150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

Shala Darpan @ राजस्थान

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2700872, E-mail: shaladarpanjpr@gmail.com, rmsaccr@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प. / जय / शालादर्पण / 2020 / 1062 दिनांक :–04/11/2020

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रा.शि.)
समस्त जिले

URGENT

विषय –शाला दर्पण पोर्टल पर सीधी भर्ती / अधिशेष काउंसलिंग मे मैप विद्यालयों को अनमैप करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विभिन्न सीधी भर्तीयों एवं अधिशेष / समायोजन हेतु काउन्सलिंग का समस्त कार्य शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रा.शि. के लॉगिन पर उपलब्ध काउन्सलिंग की विभिन्न स्टेपस द्वारा किया जाता है।

अब तक विभिन्न काउसंलिंग में शामिल अभ्यर्थियों / कार्मिकों की मैपिंग आवंटित विद्यालय से की गई है एवं उक्त मैपिंग के पश्चात ही जिला लॉगिन से कार्यग्रहण की अनुमति पश्चात अभ्यर्थी / कार्मिक द्वारा पोर्टल पर कार्यग्रहण किया जा सकता है। **शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 01.07.2019 तक पोर्टल से जनरेट रिक्तियाँ जिनकी मैपिंग आवंटित अभ्यर्थी / कार्मिक से किये जाने के पश्चात भी कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण नही किया गया है ऐसी समस्त मैपिंग को राज्य स्तर से आंदिनांक तक कार्यग्रहण नही मानते हुए हटाया जाना है। अतः नियोक्ता द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी की कार्यग्रहण अंतिम दिनांक में अभिवृद्धि प्रदान की गयी अथवा न्यायालय प्रकरण में स्थान सुरक्षित रखा गया की सूची व जिले में दिनांक 01.07.2020 से पूर्व की गई काउंसलिंग जिसके पदस्थापन आदेश होने बाकी है की सूचना पत्र जारी होने के तीन दिवसों में ईमेल ID rajssashaladarshan@gmail.com पर अनिवार्यतः भिजवाने की सुनिश्चितता करें।**

साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी / कार्मिक द्वारा काउसलिंग द्वारा आंवटित विद्यालय में ऑफलाइन कार्यग्रहण किया है परन्तु आंदिनांक तक ऑनलाइन नही किया गया है तो संबंधित को निर्देशित करवाते हुए अविलम्ब ऑनलाइन कार्यग्रहण करवायें। नियत तिथि तक आपके प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सूचना "शून्य" मानते हुए विभिन्न काउन्सलिंग में मैप रिक्तियों को राज्य स्तर से हटा दिया जायेगा जिसके उपरान्त काउंसलिंग से आंवटित विद्यालय में पोर्टल पर कार्यग्रहण संभव नही हो पावेगा व नियत तिथि उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर पर भिजवा दिये जायेगे।

www.rajsevak.com

4/11/2020
(सोमदत्त दीक्षित)
उपायुक्त–I

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प. / जय / शालादर्पण / 2020 / 1063 दिनांक :– 04/11/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयुपर।
3. निजी सहायक, निदेशक, मा.शि. / प्रा. शि, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद–I, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

4/11/2020
उपायुक्त–I

h:\shala darpan(yogesh)\gen letters1.doc